हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

दशम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 91

मंगलवार, 1 दिसम्बर, 2015/10 अग्रहायण, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

बैठक के प्रारम्भ होते ही प्रो० प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि हमारी पार्टी के निवेदन पर जिला कांगड़ा प्रशासन ने दिनांक 28 नवम्बर,2015 को जोरावर सिंह स्टेडियम में हमें रैली करने की अनुमति दी थी। लेकिन पिछले कल हमें पत्र द्वारा सूचित किया गया कि अब आप इस रैली को दाड़ी ग्राऊंड में करें क्योंकि इस ग्राऊंड को फुटबाल स्टेडियम के रूप में तैयार किया जाएगा। जब से विधान सभा, तपोवन में बैठकें होनी शुरू हुई है तब से चाहे कोई पार्टी सत्ता में रही हो, पक्ष या विपक्ष का समर्थन या विरोध का कोई भी प्रदर्शन हो इस जोरावर सिंह ग्राऊंड में होता रहा है। इस प्रकार से विपक्ष की आवाज को दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इस पर माननीय मुख्य मंत्री ने जवाब में कहा कि इस बारे में गलतफ़हमी हुई है। पिछले वर्ष जब विधान सभा का सत्र धर्मशाला में हो रहा था तो यहां के जिला प्रशासन को कहा गया था कि भविष्य में जो भी रैलीज़ होंगी, वे जोरावर सिंह मैदान में जोकि बिल्कुल विधान सभा के सामने हैं,वहां पर न की जाएं, विशेषकर जब विधान सभा सत्र हो। मगर जैसा अभी माननीय विपक्ष के नेता ने कहा है कि उन्होंने रैली के लिए परमिशन मांगी थी, वह मिल चुकी थी। इसलिए मैं समझता हूं कि परमिशन देने के बाद उसको वापिस लेना सही नहीं है। मैं प्रशासन को कहूंगा कि वे यथापूर्व जोरावर सिंह मैदान में रैली या प्रदर्शन करने की जो परमिशन दी गई है, उसे जारी रखें और बाद वाले ऑर्डर को वापिस लें। इसकी वजह एक और भी है कि यह मैदान विधान सभा के बहुत नजदीक है। जब मीटिंग या रैली होती है तो जो लाऊड-स्पीकर बजते हैं, उसकी आवाज सदन तक आती है इसलिए यह फैसला लिया गया था। अब की बार यह इजाज़त दी है मगर भविष्य में इस मैदान के अंदर सैशन के दिनों में

किसी प्रकार मीटिंग, खासकर जहां पर लाऊड-स्पीकर का प्रयोग हो रहा हो, ऐसी मीटिंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

इस विषय के तुरंत बाद श्री रविन्द्र सिंह ने एक और व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि कल मैंने नियम-67 के अन्तर्गत एडजोर्नमैंट मोशन आपके समक्ष प्रस्तुत किया था और आपने व्यवस्था दी थी कि यह विषय सरकार को उत्तर के लिए भेजा है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि जो फर्स्ट विषय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अन्तर्गत आते हैं, उनको मैंने रिजैक्ट किया था लेकिन आपके विषय को रिजैक्ट नहीं किया गया है। आपके विषय को सरकार को उत्तर के लिए भेजा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय की बात से संतुष्ट न होकर विपक्ष के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे।

(शोरगुल के मध्य माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्वाह्न 11.25 बजे माननीय सदन की बैठक पूर्वाह्न 11.45 बजे तक स्थगित की गई)

(सदन की बैठक पूर्वाह्न 11.45 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में पुनः आरंभ हुई)

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था देते हुए कहा कि मैंने अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति से, श्री रविन्द्र सिंह जी का नियम-67 के अन्तर्गत जो कार्य स्थगन का प्रस्ताव था, उसको नियम-130 के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया है और उस पर दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 को चर्चा होगी।

11.47AM

1. प्रश्नोत्तरः

(i) तारांकित प्रश्नः

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 2298 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 2487 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिये गये। स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 2330 का उत्तर सम्बन्धित मंत्री द्वारा दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 2488 से 2512 तक के उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा दिये गये समझे गये।

(ii) अतारांकित प्रश्नः

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 940,1045 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 1078 से 1084 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12.00 PM

2. कागजात सभा पटल पर रखना :

(1) **श्री वीरभद्र सिंह,मुख्य मन्त्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन नियम, 2005 के नियम 7 के अन्तर्गत प्ररूप-5;

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14; और

(iii) जल (प्रदूषण का नियन्त्रण एवं निवारण), अधिनियम, 1974 की धारा 39(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 ।

(2) **श्री जी0एस0 बाली,खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग(तोल और माप), निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान वर्ग-III (अराजपत्रित)भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःएफ.डी.एस.-ए(3)-2/2014दिनांक 02.11.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.11.2015 को प्रकाशित; और

(ii) हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन तथा बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम,1999 की धारा 21(4)के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन तथा बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14.

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति** ने **(वर्ष 2015-16)**, समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का **114वां मूल प्रतिवेदन**(बारहवीं विधान सभा)जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2006-07(सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **115वां मूल प्रतिवेदन**(बारहवीं विधान सभा)जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **116वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 225वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी,सभापति,लोक उपक्रम समिति ने(वर्ष 2015-16)**,समिति का **48वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 7वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत सीमित** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(3) **श्री खूब राम,सभापति कल्याण समिति ने** (**वर्ष 2015-16**),समिति का **20वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(4) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति ने(वर्ष 2015-16)**, समिति का **12वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 8वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः

श्री रविन्द्र सिंह, सदस्य ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

दिनांक 15 अक्तूबर, 2015 को कांगड़ा केसरी समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक "**ज्वालामुखी में कुएं से मिला डाक्टर का शव**", से उत्पन्न स्थिति।

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

5. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

श्री महेश्वर सिंह,सदस्य ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

"यह सदन सरकार की वर्तमान '**सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव की नीति**' पर विचार करे।"

(अपराह्न 1.00 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.00बजे तक स्थगित हुई)

(अपराह्न 2.00 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के उपरान्त माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री सुरेश भारद्वाज

2. श्रीमती आशा कुमारी
3. श्री जय राम ठाकुर
4. श्री कुलदीप कुमार
5. श्री रिखी राम कौंडल
6. डॉ० राजीव बिन्दल
7. श्री नन्द लाल, मुख्य संसदीय सचिव
8. श्री वीरेन्द्र कंवर
9. श्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव
10. श्री गोविन्द राम शर्मा
11. श्री रवि ठाकुर
12. श्री किशोरी लाल
13. श्री हंस राज
14. श्री बलदेव सिंह तोमर
15. श्री बलबीर सिंह वर्मा
16. श्री सुरेश कुमार

(सदन की बैठक अपराह्न 5.00 बजे से अपराह्न 6.00 बजे तक बढ़ाई गई)

17. श्री गोविन्द सिंह ठाकुर
18. श्री कृष्ण लाल ठाकुर
19. श्री महेन्द्र सिंह

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अपराह्न 6.00 बजे सदन की बैठक बुधवार 02 दिसम्बर,2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)